



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 30 अप्रैल, 2020

बैशाख 10, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 427/ग्यारह-2-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(105)-2020

लखनऊ, 30 अप्रैल, 2020

अधिसूचना

प०आ०-107

उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, एतद्वारा परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना संख्या क०नि०-2-983/ग्यारह-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(42)-2019, दिनांक 2 जुलाई, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 में, निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु उक्त व्यक्तियों को, जो प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में स्वनिर्धारित कर के संदाय के ब्यौरे से युक्त विवरण देने के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2019-2020 में कर अवधियों के लिए उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर नियमवाली, 2017 (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी दिया है, ऐसे करदाता वित्तीय वर्ष 2019-2020 के सभी कर अवधियों के लिए उक्त नियमावली के प्ररूप जीएसटीआर-1 में मालों या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्ति का विवरण या प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में स्वनिर्धारित कर के भुगतान के ब्यौरे से युक्त विवरण देने की आवश्यकता नहीं होगी।”

आज्ञा से,

आलोक सिन्हा,

अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 427/XI-2-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(105)-2020, dated April 30, 2020 :

No. 427/XI-2-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(105)-2020

Dated Lucknow, April 30, 2020

IN exercise of the powers conferred by section 148 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification no. KA.NI.2-983/XI-9(47)-17- U.P. Act-1-2017-Order- (42) -2019, dated July 2, 2019, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, in paragraph 2, the following proviso shall be *inserted*, namely:-

"Provided that the said persons who have, instead of furnishing the statement containing the details of payment of self-assessed tax in **FROM GST CMP-08** have furnished a return in **FROM GSTR- 3B** under the Uttar Pradesh Goods and Services Tax rules, 2017(hereinafter referred to as the said rules) for the tax periods in the financial year 2019-2020, such tax payers shall not be required to furnish the statement in outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** of the said rules or the statement containing the details of payment of self-assessed tax in **FORM GST CMP-08** for all the tax periods in the financial year 2019-2020."

By order,
ALOK SINHA,
Apar Mukhya Sachiv.